संख्याः 63/2026/327पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/35/2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांकः31.03.2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) निधि योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्र संख्या-1267 / पू०वि०निधि-(राज्यांश)/प्राक्कलन/2025-26 दिनांक 05.12.2026, संख्या-1413/पू०वि०निधि-(राज्यांश)/2025-26 दिनांक 08.01.2026, संख्या 1760/पू०वि०निधि (राज्यांश)/पा०प्राक्कलन 2025-26 दिनांक 23.01.2026, संख्या-1790/पू०वि०निधि (राज्यांश)/पा०प्राक्कलन 2025-26 दिनांक 28.01.2026 तथा संख्या 1829/अ०सं० पू०वि०निधि-(राज्यांश) / पा०प्राक्कलन 2025-26 दिनांक 03.02.2026 पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) विकास निधि योजनान्तर्गत जनपद-बाराबंकी में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रु. 1047.05 लाख (रूपये दस करोड़ सैंतालीस लाख पांच हजार मात्र जी०एस०टी० सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु. 505.00 लाख (रूपये पांच करोड पांच लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	विकास खण्ड बनीकोडर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गैरिया में काली माता मंदिर से धनौली गैरिया संपर्क मार्ग तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	410	24.72	12.00
2	विकास खण्ड बनीकोडर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोड़ियनपुरवा मजरे रतौली में दिलावलपुर डामर रोड से देवनरायण के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	652	38.93	19.00
3	विकास खण्ड बनीकोडर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाजपुर मे डामर रोड पोयनी से कम्पोजिट विद्यालय जयचन्दपुर तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	220	15.34	7.00
4	विकास खण्ड बनीकोडर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भेन्दुआ बहरेला के पूरे रघुनाथ में घनीराम के घर से नन्दलाल के घर तक रोड निर्माण कार्य।	225	16.84	8.00
5	विकास खण्ड बनीकोडर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पूरे पाण्डेय मजरे रामपुर में पक्की सड़क से वीरेन्द्र शुक्ला के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	230	13.99	7.00
6	विकास खण्ड बनीकोडर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महमूदपुर मजरे मानपुर मकोहिया मे मुख्य खण्डजा से आशीष के घर होते हुए शोभा राम के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	360	22.32	11.00
7	विकास खण्ड बनीकोडर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत छंदवल में डामर रोड से सत्यप्रकाश सिंह के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	225	18.27	9.00
8	विकास खण्ड दरियाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुरारपुर के मजरे मिर्जा के पुरवा में डामर रोड से राजेन्द्र वर्मा के मकान सीसी रोड निर्माण कार्य।	125	13.41	6.00
9	विकास खण्ड दरियाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पूरेबाज के मजरे गाजीपुर में डामर रोड से सजन मौर्या के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य।	450	31.78	15.00
10	विकास खण्ड सिद्धौर के अन्तर्गत भिटारिया-हैदरगढ मार्ग से ग्राम बेडाहरी तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	950	57.06	27.00
11	विकास खण्ड त्रिवेदीगंज के ग्राम शाहपुर सिद्धवी में शिव कुमार के आवास के निकट मंदिर से नरेन्द्र के आवास तक इंटरलॉकिंग	100	8.00	4.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

12	ग्राम पंचायत भिलवल मजरे अकबरपुर में श्याम लाल के आवास से अकबरपुर पुलिया तक वाया प्राथमिक विद्यालय इंटरलॉकिंग	185	12.68	6.00
13	ग्राम पंचायत सलेमपुर मजरे कीरतपुर में किशोरी रावत के आवास के सामने रोड से अवधेश के हाता तक इंटरलॉकिंग	75	4.68	2.00
14	विकास खण्ड फतेहपुर के ग्राम गुरसेल में मौनी दास बाबा आश्रम के गेट से कल्चरल शेड तक इंटरलॉकिंग	140	8.85	4.00
15	विकास खण्ड फतेहपुर में सिहाली मार्ग से महादेव तालाब मंदिर फतेहपुर गेट तक इंटरलॉकिंग	125	13.55	7.00
16	विकास खण्ड दरियाबाद के मधुरा नगर मजरे काजी का पुरवा गाँव में हरी प्रसाद इंटर कॉलेज के पूर्व गेट से दिलीप जी के आवास तक इंटरलॉकिंग	120	9.64	5.00
17	विकास खण्ड सिद्धौर के ग्राम शेखपुर हकीम में राम सूरत के आवास से राजित राम के आवास तक इंटरलॉकिंग	45	3.33	2.00
18	विकास खण्ड राम नगर धोखदिया मजरे ताल पाल पुरवा रोड से प्राइमरी स्कूल होते हुए हनुमान मंदिर तक इंटरलॉकिंग	290	23.03	11.00
19	विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम डफरपुर में शंकर जी के मंदिर से संपर्क मार्ग तक इंटरलॉकिंग	290	18.1	9.00
20	विकास खण्ड मसौली के ग्राम सेमरी में सत्यवान के आवास से चन्द्र प्रकाश के आवास तक इंटरलॉकिंग	100	7.53	4.00
21	ब्लाक देवा चिनहट रोड से न्यू विकास हाई स्कूल मैनाहार तक इंटरलॉकिंग	160	8.93	4.00
22	श्रीराम कॉलोनी की गली नं० 10 में सहदेव के आवास से रितेश के आवास होते हुए आयुष्मान हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट तक इंटरलॉकिंग	180	19.09	9.00
23	विकास खंड रामनगर के ग्राम खेतौरा में डॉ० अशोक के आवास से रेलवे लाइन तक इंटरलॉकिंग	265	13.71	7.00
24	विकास खंड सिद्धौर के ग्राम कादिरपुर में प्राथमिक विद्यालय दुनौली से लघु डाल नहर दुनौली पुलिया तक इंटरलॉकिंग	180	9.79	5.00
25	विकास खण्ड देवा के ग्राम पूर्वी नई बस्ती में मुख्य मार्ग से अवधेश सिंह के आवास तक इंटरलॉकिंग	140	8.4	4.00
26	विकास खण्ड फतेहपुर में ग्राम धरौरी में मुख्य मार्ग से संदीप कहार के आवास तक इंटरलॉकिंग	65	5.9	3.00
27	विकास खण्ड सूरतगंज में बेहड़ा बाजार से ग्राम बेहड़ा तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	690	54.28	26.00
28	विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम बहरौली में दारापुर से बाबा मस्तराम आश्रम के पास तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	565	49.06	24.00
29	विकास खण्ड फतेहपुर के ग्राम नईमाबाद में सी०सी० रोड से जंगली नाथ मन्दिर के पास तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। ।	600	49.69	24.00
30	विकास खण्ड सूरतगंज के ग्राम पारा में डामर रोड से रामचरन के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	350	27.3	13.00
31	विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम खण्डसरा में गंगाराम के घर से जगदीश रावत के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	200	16.86	8.00
32	विकास खण्ड त्रिवेदीगंज के ग्राम कबूलपुर में दिलीप के घर से ननकऊ के दरवाजे होते हुए कान्हूपुर मार्ग तक सी०सी० मार्ग निर्माण कार्य	513	35.65	17.00
33	विकास खण्ड त्रिवेदीगंज के ग्राम शाहपुर सिदवी प्रा०वि० से मन्दिर के पास तक इंटरलांकिग कार्य	400	23.53	11.00
34	विकास खण्ड हैदरगढ़ के ग्राम भेतमुआ के पासिनपुरवा में राजपति के घर से गांव तक इंटरलांकिग कार्य	263	14.01	7.00
35	विकास खण्ड हैदरगढ़ के ग्राम सतरही में प्राथमिक विद्यालय से पालीवीर देव प्रांगण के पास तक इंटरलांकिग कार्य	70	20.05	10.00
36	विकास खण्ड हैदरगढ़ के ग्राम पंचायत सरायरावत में खेरवा सम्पर्क मार्ग से बाबा भैरवनाथ मन्दिर के पास तक इंटरलांकिग कार्य	576	31.11	15.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

37	विकास खण्ड हैदरगढ़ के ग्राम पंचायत हरिपालपुर में सराय चौबे रोड से नीलकण्ड महादेव मन्दिर के पास तक इंटरलांकिग कार्य	180	11.45	5.00
38	विकास खण्ड त्रिवेदीगंज के ग्राम खैराकनकू पुल से खैरा गावं तक इंटरलांकिग कार्य	400	24.46	12.00
39	विकास खण्ड बंकी विधान सभा क्षेत्र-सदर बाराबंकी में पिपरतल्ला मन्दिर से सरथरा पुरवा तक नव निर्माण सडक निर्माण कार्य	910	63.81	31.00
40	विकास खण्ड दरियाबाद के ग्राम अमनियापुर में कोटवा सडक- कोटावाधाम मार्ग से अजय कुमार दीक्षित के हाता तक सी०सी० मार्ग निर्माण कार्य।	364	21.92	11.00
41	विकास खण्ड पूरेडलई बसन्तपुर में बरदान तिवारी के घर से माता बक्श सिंह के घर तक सी०सी० मार्ग निर्माण कार्य।	343	29.86	14.00
42	विकास खण्ड बनीकोडर सनौली के पूरनपुरवा में सिद्धौर-मोहम्मदपुर मार्ग से सरकारी नलकूप तक इण्टरलाकिंग कार्य।	60	4.34	2.00
43	विकास खण्ड सूरतगंज नन्दउपारा में अरविन्द यादव के घर के पीछे से राघवेन्द्र सिंह के घर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण	300	23.05	11.00
44	विकास खण्ड सूरतगंज गंगापुरवा मुख्य डामर मार्ग से डा० अनिल कुमार सिंह के घर तक मार्ग पर इण्टरलाकिंग कार्य।	51	3.74	2.00
45	विकास खण्ड रामनगर रामनगर-फतेहपुर रोड पर रेलवे पुल से पहले दाहिनी तरफ आबादी तक सी०सी० मार्ग का निर्माण	480	33.84	16.00
46	विकास खण्ड सूरतगंज रमुवापुर-तेलवारी मार्ग पर बायें तरफ आबादी तक मार्ग का सी०सी० कार्य	120	8.83	4.00
47	विकास खण्ड हैदरगढ़ ग्राम सतरही में चन्द्र प्रकाश के घर से दुःखहरन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	370	24.75	12.00
48	विकास खण्ड सिरौलीगौसपुर खजुरी चौराहे से विमला देवी हरिहर सिंह महिला महाविद्यालय तक सी०सी० मार्ग का निर्माण	430	33.96	16.00
49	विकास खण्ड बनीकोडर धनौली ठकुरान में पक्की सड़क से शिवम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	230	13.63	7.00
	योग	**14772**	**1047.05**	**505.00**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सैंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/ स्टील/ ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक /मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।
7. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

8. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
9. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
13. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
14. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
15. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
16. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
17. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
19. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
20. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
21. कार्य स्थल पर संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
22. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
23. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

24. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
25. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
26. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
27. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
28. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
29. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
30. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी.
31. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या:101/2025/726पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/110/2025 दिनांक 10 जून, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- इस संबंध में **(1)** क्रमांक-13 एवं 31 के कार्य पर होने वाला व्यय रु0 10.00 लाख (रु० दस लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक-**4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-02-पिछडे क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियो के लिये विशेष घटक योजना-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24 वृहद निर्माण** कार्य के नामे डाला जायेगा एवं **(2)** शेष कार्यो पर होने वाला व्यय रु0 495.00 लाख (रु० चार करोड पंचानबे लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक-**4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24 वृहद निर्माण** कार्य के नामे डाला जायेगा

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 63/2026/327पू0वि0नि0(1)/35-1-2026/35-1099/35/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
11- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाराबंकी ।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बाराबंकी।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।